<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-जी.ओ.-अ.-12042025-262431 CG-GO-E-12042025-262431

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] No. 292] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

सं.—एल—7/1/OS44(59)—सीईआरसी—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 और उसके साथ पठित उसकी धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 है।
- 1.2 ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियमों के विनियम 5 का संशोधन
- 2.1 मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) के बाद नया खंड (कक) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:— "(कक) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान / संगठन"
- 3. मूल विनियमों के नए विनियम 6ख का अंतर्वेशन
- 3.1 नए विनियम 6ख का अंतर्वेशन निम्नानुसार किया जाएगाः

2477 GI/2025 (1)

"(6ख) एकल स्रोत चयन या नामांकन द्वारा परामर्शी विधि असाधारण परिस्थितियों के अधीन परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नानुसार उपयोग की जाएगी:—

- (i) जहाँ कार्य, फर्म द्वारा किए गए पिछले कार्य की प्राकृतिक निरंतरता दर्शाता है;
- (ii) अत्यावश्यकता के मामले में जहाँ कार्य का समयपूर्ण समापन अत्यधिक महत्वपूर्ण है;
- (iii) उन परिस्थितियों में जहाँ कार्य के निष्पादन में स्वायत्त तकनीक शामिल हो सकती है या केवल विशेषीकृत एजेंसी/संस्थान/परामर्शी के पास अपेक्षित विशेषज्ञता है या आयोग द्वारा यथा निर्धारित विनिर्दिष्ट परिस्थिति;
- (iv) किसी विशेष परिस्थितियों के अधीन, जब विशेष परामर्शी का चयन करना आवश्यक हो जहाँ आयोग के समग्र हित के संदर्भ में ऐसे एकल—स्रोत चयन के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण उपलब्ध हो।"

## 4. मूल विनियमों के नए विनियम 6ग का अंतर्वेशन

विनियम ६ख के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (६ग) अंतर्वेशित किया जाएगा:-

## ''6ग. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान/संगठन

- (1) आयोग, संतुष्ट होने पर कि विनियामक अनुसंधान के लिए परामर्शी सेवाएं लेने की आवश्कता है जिसे, इसके विचार में, कार्य के लिए आवश्यक समझे गए अनुसंधान स्तरीय वाले शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों / संगठनों द्वारा अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र या विनियामक मामलों में अनुसंधान में लिप्त शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित संगठनों को नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।
- (2) उपर्युक्त उप—विनियम (1) के उद्देश्य से, आयोग परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सचिवालय की ओर से कार्य का विस्तृत दायरा और आवश्यक अनुभव/अर्हता इंगित करते हुए निर्देश—निबंधन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त करने पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करेगा।
- (3) परामर्शी मूल्यांकन समिति, अध्यक्ष के अनुमोदन से, वेबसाइट, समाचार पत्र या ई—मेल या यथा निर्धारित पर विज्ञापन के माध्यम से हिताभिव्यक्ति के लिए आह्वान करेगा। हिताभिव्यक्ति में परामर्शी कार्यों, पात्रता के प्रकार का व्यापक विवरण और शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों / संगठन द्वारा आयोग की विनियामक अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता से संबंधित पूरा किए जाने वाले पूर्व—अईता मानदंड शामिल होंगे।
- (4) परामर्शी मूल्यांकन समिति हिताभिव्यक्ति के प्रति प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर पात्रता और पूर्व—अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शैक्षिक या अनुसंधान संस्थाओं / संगठनों का पैनल तैयार करेगा।
- (5) निर्मित पैनल तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा जिसका विस्तार आयोग द्वारा निर्धारण के अनुसार अतिरिक्त दो वर्षों के लिए किया जा सकेगा। आयोग अपने द्वारा प्रस्तावित या अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए, इस विनियम के उप—विनियम (4) के अधीन निर्मित पैनल से उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर शैक्षिक या अनुसंधान संस्थाओं या अनुसंधान संगठनों से बोलियां या ऑफर का आह्वान कर सकता है।
- (6) इस विनियम के उप—विनियम (4) के अधीन निर्मित वैध पैनल से विनिर्दिष्ट अनुसंधान अध्ययन के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों या अनुसंधान संगठनों का चयन आयोग द्वारा परिलक्षित अध्ययनों के लिए न्यूनतम लागत विधि के अनुसार किया जाएगा।

#### 5. मूल विनियमों के नए विनियम 8ख का अंतर्वेशन

5.1 मूल विनियमों के विनियम 8क के बाद नया विनियम 8ख निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:--

#### ''8ख. प्रदर्शन—संबद्घ परिवर्ती वेतन

(1) विनियम 7 के अधीन नियुक्त व्यक्तिगत परामर्शी और विनियम 8क के अधीन नियुक्त स्टाफ परामर्शी मासिक फीस के 40% तक की प्रदर्शन—संबद्ध परिवर्ती वेतन के पात्र होंगे, जो आयोग द्वारा संगठन, प्रभाग या टीम और

व्यक्तिगत के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर स्वीकार्य होगी और आयोग द्वारा जारी क्रियाविधि के अनुसार तिमाही या छमाही आधार पर रिलीज की जाएगी। (2) प्रदर्शन की रेटिंग प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा पृथक क्रियाविधि जारी की जाएगी।

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./24/2025-26]

नोटः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008, दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.160, भाग—III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010, दिनांक 6 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं.223 में प्रकाशित हुए थे, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014, दिनांक 7 अक्तूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं.286 में प्रकाशित हुए थे, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017, दिनांक 10 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं. 46 में प्रकाशित हुए थे और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, दिनांक 12 मई, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं.333 में प्रकाशित हुए थे।

# CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

**No. L-7/1/OS44(59)-CERC.**—In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read with Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely:-

#### 1. Short title and Commencement:-

- 1.1 These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Fifth Amendment) Regulations, 2025;
- 1.2 These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment to Regulation 5 of Principal regulations:
- 2.1 A new clause (aa) shall be added after clause (a) of Regulation 5 of the principal regulations as under:-
  - "(aa) Academic and Research Institutions/Organisations"

#### 3. Insertion of New Regulation 6B of the Principal Regulations

- 3.1 New regulation 6B shall be inserted as under:
- "(6B) The Single Source Selection or Consultancy by nomination method shall be used for procurement of consultancy services under exceptional circumstances as under:-
  - (i) where the assignment represents a natural continuation of previous work carried out by the firm;
  - (ii) in case of an urgency where timely completion of the assignment is of utmost importance;
  - in situations where execution of assignment may involve the use of proprietary techniques or only a specialized agency/institution/consultant has requisite expertise or the specific situation as may be decided by the Commission;
  - (iv) under some special circumstances, when it may become necessary to select a particular consultant where adequate justification is available for such single-source selection in the context of the overall interest of the Commission."

#### 4. Insertion of New Regulations 6C of the Principal Regulations

- 3.1 After Regulation 6B, the following new sub-regulation (6C) shall be inserted:-
  - "6C. Academic and Research Institutions/Organisations.

- (1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services for regulatory research which, in its opinion, can be more effectively performed by an academic or research institutions/ organizations, having research profile considered necessary for an assignment, may decide to engage academic or research institution or organisations of repute engaged in research in the power sector or regulatory matters;
- (2) For the purpose of sub-regulation (1) above, the Commission will initiate a process of engagement on receiving a proposal from the Secretariat of the Commission comprising terms of reference indicating the broad scope of work and the experience/qualification required for obtaining consultancy services.
- (3) The Consultancy Evaluation Committee shall, with the approval of the Chairperson, call for Expression of Interest through advertising on the website, newspaper or e-mail or as may be decided. The expression of Interest shall include a broad description of the type of consulting assignments, eligibility, and the pre-qualification criteria to be met by the academic or research institutions/ organization related to the research experience and technical expertise to meet the regulatory research requirements of the commission.
- (4) Consultancy Evaluation Committee shall prepare a panel of academic or research institutions/organisations meeting the eligibility and pre-qualification requirements based on responses received against Expression Of Interest.
- (5) The panel prepared shall be valid for three years which can be extended for two more years as may be decided by the Commission. The Commission may call for bids or offers academic or research institutions or research organizations from a panel prepared under the sub-regulation (4) of this regulation, based on their area of expertise, for conducting research studies proposed by the Commission or approved by the Commission.
- (6) The academic or research institutions or research organisations, from the valid panel prepared under the sub-regulation (4) of this regulation, fulfilling technical requirements for a specific research study shall be selected for identified studies by the Commission on the least cost method."

#### 5. Insertion of New Regulations 8B of the Principal Regulations

- 5.1 New Regulation 8B shall be added after Regulation 8A in the Principal Regulations as under:- "8B. Performance-related variable pay
  - (1) The individual consultants engaged under regulation 7 and staff consultants engaged under regulation 8A shall be entitled to performance-related variable pay of up to 40% of the Monthly fee, which will be admissible on achieving the prespecified annual targets by the Commission for organisation, division or team and individual and released on a quarterly or six monthly basis as per the procedure issued by the Commission.
  - (2) A separate procedure shall be issued by the Commission for arriving at the rating of performance.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secv.

[ADVT.-III/4/Exty./24/2025-26]

NOTE: The Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of consultants) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 160, Part III, Section 4 on 14<sup>th</sup> October, 2008, Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2010 were published on 6th September, 2010 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 223 on 6<sup>th</sup> September, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2014 were published on 7<sup>th</sup> October, 2014 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 286, Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Third Amendment) Regulations, 2017 were published on 10<sup>th</sup> February, 2017 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 46 and Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 were published on 12<sup>th</sup> May, 2023 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 333.